

‘एसपायरगि लीडर’ के रूप में छत्तीसगढ़ को कथिा गया सम्मानति

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2022 को केंद्रीय उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप स्टार्टअप रैंकिंग के तीसरे संस्करण के अंतर्गत केंद्रीय वाणजिय एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दलिली में आयोजति कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु एसपायरगि लीडर के रूप में सम्मानति कथिा गया ।

प्रमुख बडि

- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत स्टार्टअप इकाइयों को लाभान्वति करने हेतु स्टार्टअप पैकेज लागू कथिा गया है । राज्य में कुल 748 स्टार्टअप पंजीकृत हैं ।
- एसपायरगि लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ को प्रदान कथिा गए प्रशस्त-पत्र में यह उल्लेख कथिा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्टअप को प्रोत्साहति करने के लिये कई सराहनीय पहल की गई है, जनिमें स्टार्टअप पॉलिसी की स्थापना, स्टार्टअप के लिये करों में छूट और अनुदान का प्रावधान तथा इन्क्यूबेटरस की स्थापना और उनका उन्नयन प्रमुख पहल है । इन्क्यूबेटरस के माध्यम से स्टार्टअप के लिये को-वर्कगि स्पेस, मेंटरशिप, फंडगि और प्रौद्योगिकी सपोर्ट के प्रावधान कथिा गए हैं ।
- केंद्रीय मंत्री द्वारा स्टार्टअप क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के तीन अधिकारियों- अनुराग पांडेय (विशेष सचवि वाणजिय एवं उद्योग विभाग), प्रवीण शुक्ला (अपर संचालक उद्योग) एवं सुमन देवांगन (सहायक संचालक) को सम्मानति कथिा गया ।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहति करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज लागू कथिा गया है ।
- भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इकाइयों को छत्तीसगढ़ में स्थापति होने पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज घोषति कथिा गया है । पैकेज के तहत ब्याज अनुदान अधिकतम 70 प्रतिशत अधिकतम 11 वर्ष के लिये, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अधिकतम 55 प्रतिशत, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति अधिकतम 15 वर्ष तक, वदियुत शुल्क छूट अधिकतम 10 वर्ष तक एवं पातरता अनुसार औद्योगिक नीति, 2019-24 में उल्लेखति अन्य अनुदान जैसे भू-प्रब्याजी में छूट, स्टॉप शुल्क छूट, परियोजना प्रतविदन में छूट आदि की सुविधा प्रदान की जाती है ।
- स्टार्टअप को तीन वर्षों तक भवन करिए का 40 प्रतिशत, जसिकी अधिकतम सीमा 8 हजार रुपए प्रतिमाह प्रतिपूर्ति दी जा रही है और स्टार्टअप इकाइयों द्वारा सेमीनार, वर्कशॉप, संगोष्ठी, प्रदर्शनी में भाग लिये जाने पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, जसिकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी, दी जा रही है ।
- राज्य में स्टार्टअप को प्रोत्साहति करने हेतु इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिये कथिा जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशा 50 लाख रुपए एवं संचालन के लिये 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में दी जा रही है ।
- औद्योगिक पुरस्कार योजना पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्टार्टअप श्रेणी में भी पुरस्कार देने का प्रावधान कथिा गया है । प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के रूप में क्रमशः 1,51,000 रुपए, 1,00,000 रुपए एवं 51,000 रुपए की राशा एवं प्रशस्त-पत्र देने का प्रावधान कथिा गया है ।